दिनांक 16.01.2025
प्रेस विज्ञप्ति 25/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना सुशान्त गोल्फ सिटी

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **03 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 16.01.2025 को थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खुर्दही पुल के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अनिल कुमार उर्फ राजा को किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से 03 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनिल कुमार उर्फ राजा निवासी अम्बरपटी अहिराना मुत्तुपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1–03 मोबाइल फोन आदि।

जनपद बस्ती/थाना परसरामपुर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के भारी मात्रा में (पीली–सफेद) धातु के आभूषण**
- **चोरी के 01 लाख 02 हजार रूपये नगद बरामद**

दिनॉकः 15.01.2025 की रात्रि थाना परसरामपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम सरावल लौकाही मल्लापुर थाना ईशानगर जनपद लखीमपुर खीरी से

अभियुक्त सरवन कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के भारी मात्रा में (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, चोरी के 01 लाख 02 हजार रूपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना परसरामपुर क्षेत्रान्तर्गत चोर द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना परसरामपुर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण व रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना परसरामपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सरवन कुमार निवासी ग्राम सरावल लौकाही मल्लापुर थाना ईशानगर जनपद लखीमपुर खीरी।

बरामदगी

1–चोरी के भारी मात्रा में (पीली–सफेद) धातु के आभूषण।

2–चोरी के 01 लाख 02 हजार रूपये नगद।

कमिश्नरेट आगरा/थाना कोतवाली

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 02 लाख 20 हजार रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि बरामद**

दिनांक 16.01.2025 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिटी स्टेशन के पास से 02 अभियुक्तों 1–शैलेन्द्र उर्फ शीलेन्द्र 2–सोहेल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 02 लाख 20 हजार रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 31.12.2024 को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग

पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शैलेन्द्र उर्फ शीलेन्द्र निवासी ग्राम पनौता थाना इरादत नगर कमिश्नरेट आगरा।

2—सोहेल निवासी ग्राम भाईगाँव थाना मलपुरा कमिश्नरेट आगरा।

बरामदगी

1—चोरी के 02 लाख 20 हजार रूपये नगद।

2—02 मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि।

जनपद कासगंज/थाना कासगंज

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 12 मोटर साइकिल**
- **चोरी की 01 ई—रिक्शा, 01 सोलर प्लेट**
- **02 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 15.01.2025 की रात्रि थाना कासगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एटा—कासगंज रोड पर बन्द पड़े ईट भट्टा के पास जंगल से 04 अभियुक्तों 1—कुलदीप 2—प्रवीन 3—रामनिवास उर्फ बीटू 4—बबलू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 12 मोटर साइकिल, चोरी की 01 ई—रिक्शा, 01 सोलर प्लेट, 02 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना कासगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कुलदीप निवासी लालपुर नई बस्ती थाना व जनपद कासगंज।

2–प्रवीन निवासी ग्राम नरौली थाना व जनपद कासगंज।

3–रामनिवास उर्फ बीटू निवासी नगला छिद्दू थाना व जनपद कासगंज।

4–बबलू निवासी ग्राम नरौली थाना व जनपद कासगंज।

बरामदगी

1–चोरी की 12 मोटर साइकिल।

2–चोरी की 01 ई–रिक्शा, 01 सोलर प्लेट।

3–02 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद बुलन्दशहर/थाना गुलावठी

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 02 लाख 35 हजार रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 16.01.2025 को थाना गुलावठी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 अभियुक्तों 1–शाहिद 2–नाजिम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 02 लाख 35 हजार रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि थाना गुलावठी क्षेत्रान्तर्गत चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध थाना गुलावठी पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त नाजिम के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद, जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी आदि के 07 अभियोग व अभियुक्त शाहिद के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना गुलावठी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शाहिद निवासी हाजीपुर भटौला थाना खुर्जा देहात जनपद बुलन्दशहर।

2–नाजिम निवासी भट्टा कालोनी निकट नई मण्डी थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1–चोरी के 02 लाख 35 हजार रूपये नगद।

2–01 मोटर साइकिल।

कमिश्नरेट आगरा/थाना एत्मादपुर

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 07 मोटर साइकिल**
- **03 मोबाइल फोन बरामद**

दिनॉकः 15.01.2025 को थाना एत्मादपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बुढिया के ताल ईदगाह जाने वाले कट के पास से 04 अभियुक्तों 1–सौरभ 2–ललित 3–वीरेन्द्र उर्फ जूली 4–ओम शंकर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 07 मोटर साइकिल, 03 मोबाइल फोन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना एत्मादपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सौरभ निवासी नवलपुर थाना एत्मादपुर, आगरा।

2–ललित निवासी मानिकपुर, जलेसर थाना सहपऊ जनपद हाथरस।

3–वीरेन्द्र उर्फ जूली निवासी नवलपुर थाना एत्मादपुर, आगरा।

4–ओम शंकर निवासी हलपुरा थाना मटसेना जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1–चोरी की 07 मोटर साइकिल।

2–03 मोबाइल फोन।

जनपद शाहजहॉपुर/थाना रोजा

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 किलो 09 ग्राम अवैध अफीम बरामद**

दिनॉकः 16.01.2025 को थाना रोजा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम पैतापुर रोड से 03 अभियुक्तों 1–परमजीत 2–रामौतार 3–अनमोल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 किलो 09 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना रोजा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–परमजीत निवासी ग्राम पुरैना पूर्वी गौटिया थाना जलालाबाद जनपद शाहजहॉपुर।

2–रामौतार निवासी ग्राम मोहम्मद आनन्दपुर सरैला थाना मदनापुर जनपद शाहजहॉपुर।

3–अनमोल निवासी ग्राम जोगराजपुर थाना तिलहर जनपद शाहजहॉपुर।

बरामदगी

1–01 किलो 09 ग्राम अवैध अफीम।

- **जनपद उन्नाव/थाना हसनगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद उन्नाव द्वारा थाना हसनगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/511/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सरवन को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना छपार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना छपार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अमित उर्फ रंजीत को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>एस0टी0एफ0–अवैध मादक पदार्थ (स्मैक) की तस्करी करने वाला एक सक्रिय तस्कर 700 ग्राम स्मैक (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब 70 लाख रूपये) सहित आगरा से गिरफ्तार।</u>

दिनाकः 15–01–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अवैध मादक पदार्थ (स्मैक) की तस्करी करने वाले एक सक्रिय तस्कर को 700 ग्राम स्मैक (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब 70 लाख रूपये) सहित आगरा से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण</u>:–

1–अन्जू उर्फ पवन कुमार पुत्र स्वः निरजंन निवासी ग्राम पुरा मगोरा, जनपद मथुरा।

<u>बरामदगी</u> :–

1–700 ग्राम स्मैक (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब 70 लाख रूपये)

2–एक अदद एन्ड्राइड मोबाइल फोन

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय</u>

दिनांक–15–01–2025 समय–23.50 बजे जाजऊ कट ग्वालियर रोड, थाना क्षेत्र सैया कमिश्नरेट आगरा।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को काफी दिनों से आगरा व आप–पास के जनपदों में मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गैंगों के सक्रिय होकर अवैध रूप से तस्करी किये जाने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में श्री राकेष, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, आगरा के पर्यवेक्षण में एसटीएफ फील्ड इकाई, आगरा द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 15–01–2025 को एस0टी0एफ0 आगरा निरीक्षक हुकुम सिंह, हे0का0 अंकित गुप्ता, हे0का0 बल्देव सिंह, हे0का0 विवेक कुमार सिंह, आरक्षी प्रदीप चौधरी की एक टीम कमिश्नरेट आगरा के थाना क्षेत्र सैया में अभिसूचना संकलन के उद्देश्य स भ्रमणषील थी। इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति जाजऊ कट ग्वालियर रोड पर खड़ा है, जिसके पास मादक पदार्थ हो सकता है। उक्त सूचना पर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए थाना सैया पुलिस को अवगत कराते हुए साथ लेकर जाजऊ कट से उक्त संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया गया, जिसके कब्जे उपरोक्त बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह वर्ष–2018 से यह काम कर रहा है। इससे पूर्व दो–तीन बार जनपद मथुरा से जेल जा चुका है। यह स्मैक वह लकी निवासी कासगंज से लेकर आया है, जिसे बेचने जा रहा था। इससे पूर्व भी वह कई बार स्मैक लाकर बेंच चुका है। लकी स्मैक कहॉ से लाता है इसकी उसे जानकारी नही है। कभी–कभी लकी स्मैक क्रिस्टल के रूप में देता है, जिसे वह पीस कर पाउडर बना कर पूड़ियों में रखकर भी बेंचता है।

डीलर लकी की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना सैया कमिश्नरेट आगरा में मु0अ0स0 15/2025 धारा 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

अन्जू उर्फ पवन कुमार का आपराधिक इतिहास

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	नाम थाना	जनपद
01	338/18	60 आबकारी अधि0	मगोरा	मथुरा
02	230/22	8/20 एनडीपीएस एक्ट	मगोरा	मथुरा
03	340/23	21/22 एनडीपीएस एक्ट	मगोरा	मथुरा
04	15/25	8/21/22 एनडीपीएस एक्ट	सैया	आगरा

एस0टी0एफ0–जनपद बलिया के थाना क्षेत्र नरही में दिनांकः–05–12–2024 को हुयी जानलेवा हमले की दुस्साहसिक घटना का वांछित व रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी संजीव राय जनपद बलिया से गिरफ्तार।

दिनांकः 16–01–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को थाना नरही, जनपद बलिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0–344/2024 धारा 109 बी0एन0एस0 352 बी0एन0एस0एस0 में वांछित व रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त संजीव राय को जनपद बलिया के थाना क्षेत्र नरही से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– संजीव राय पुत्र समीर कुमार राय नि०–सोहांव, थाना नरही, जनपद बलिया।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय–

थाना नरही क्षेत्र के बैरिया मोड़। दिनांक 16–01–2025 को समय लगभग 10.15 बजे।

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में **श्री धर्मेश कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0** लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

निरीक्षक श्री राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 श्री अतुल चतुर्वेदी, उ0नि0 श्री प्रदीप सिंह, मु0आरक्षीगण सुशील सिंह, नीरज पाण्डेय, राम निवास शुक्ला, आरक्षी ब्रजेश बहादुर सिंह, आरक्षी अमर श्रीवास्तव, आरक्षी अमित त्रिपाठी, मु0आ0 चालक सुरेश कुमार की एक टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर ख़ास द्वारा बताया गया कि थाना नरही, जनपद बलिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0–344/2024 धारा 109 बी0एन0एस0 352 बी0एन0एस0एस0 में वांछित व रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त संजीव राय पुत्र समीर कुमार राय नि० सोहांव, थाना नरही, जनपद बलिया बैरिया मोड़ थाना क्षेत्र नरही के पास मौजूद है। प्राप्त सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा दिनांक 16–01–2025 को वांछित अभियुक्त संजीव राय उपरोक्त को थाना नरही क्षेत्र जनपद बलिया से आवश्यक बल प्रयोग करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि पूर्व में हुयी कहा–सुनी व विवाद के चलते मैंने दिनांकः–05–12–2024 को अपने साथी शिवम ठाकुर के साथ मिलकर शिवम राय पुत्र केदार राय नि० बघौना कला थाना नरही जनपद बलिया को गोली मार दी थी उसके पश्चात से हम दोनों गिरफ्तारी के डर से फरार हो गए थे।

गिरफ्तार अभियुक्त को पूर्व से प्रचलित मु0अ0सं0 344/24 धारा 109 बी0एन0एस0 352 बी0एन0एस0एस0 थाना नरही जनपद बलिया में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

———————